भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2311

19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी अवसंरचना

2311 श्री नीरज डांगी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत अब तक कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और कितने राज्यों में यह कार्य लंबित है;

(ख) इस योजना के पहले चरण के तहत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक प्रगति कितनी हुई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में ईवी अवसंरचना पहुंचाने के लिए क्या विशेष रणनीति बनाई गई है; और

(घ) निजी क्षेत्र को चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रोत्साहन (सब्सिडी/कर लाभ/भूमि उपलब्धता) प्रदान किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की तैनाती के लिए 26.09.2025 को परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अभी तक कोई चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है।

(घ): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और उनके सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र हैं। प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नामित नोडल एजेंसी (एजेंसियों) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) की मांग को एकत्रित करती है। इसका कार्यान्वयन संबंधित

संस्थाओं द्वारा सीधे या चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों (सीपीओ) की भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। जहां भी लागू हो, सब्सिडी का निर्गमन स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल एजेंसी (एजेंसियों) को किश्तों में किया जाता है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी कंपनियां विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के 17 सितंबर, 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार ईवीसीएस स्थापित कर सकती हैं।

यह स्कीम अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई (चार्जर) के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है और स्थान श्रेणी के आधार पर सब्सिडी 100% तक होती है। अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई की लागत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की बेंचमार्क लागत के अनुसार है।

****